जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(राजस्व शाखा)

(E-mail ID- adcchaibasa@gmail.com)

पत्रांक 61 (A) /रा०

प्रेषक,

अपर उपायुक्त–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

अवर सचिव,
झारखण्ड, राज्य खाद्य आयोग,
झारखण्ड, राँची।

दिनांक 27.06.2020.

विषय– 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र में सुबह का नास्ता एवं दोपहर का गरम भोजन नहीं मिलने से संबंधित ऑनलाईन शिकायत के संबंध में।

प्रसंग– ऑनलाईन शिकायत संख्या– 12062020030

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिकायतकर्त्ता अमीत कुमार कर, बड़ा नीमडीह, चाईबासा, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र में सुबह का नास्ता एवं दोपहर का गरम भोजन नहीं मिलने से संबंधित ऑनलाईन शिकायत से संबंधित जाँच प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक– 823/स०क० दिनांक 26.06.2020 के द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसे आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन

27/6/2020

अनुलग्नक– यथोक्त।

अपर उपायुक्त–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

G:\Latter 2016-17_1.docx

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।
(समाज कल्याण शाखा)

पत्रांक संख्या – 823 /स०क०

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

अपर उपायुक्त–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

चाईबासा, दिनांक 26 / 06 / 2020ई०।

विषय :– **03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र में सुबह का नास्ता एवं दोपहर का गरम भोजन नहीं मिलने से संबंधी शिकायत के संबंध में।**

प्रसंग :– **भवदीय पत्रांक 674(B)/रा0 दिनांक 18.06.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची का आदेश ज्ञापांक 523 दिनांक 21.03.2020 एवं पत्रांक 662 दिनांक 15.05.2020 (छायाप्रति संलग्न) तथा निदेशक, समाज कल्याण के पत्रांक 919/स0क0 दिनांक 01.06.2020 के द्वारा निदेशित है कि केन्द्र प्रायोजित योजना पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभुको को पूरक पोषाहार का वितरण आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा Home Delivery के माध्यम से Lockdown अविध तक के लिए किया जाना है। उक्त निदेश के अनुपालन में आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा Lockdown अविध तक के लिए पूरक पोषाहार कार्यक्रम का संचालन THR के रूप में किया जा रहा है।

अतः उपर्युक्त से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता अमित कुमार कर, बड़ानीमडीह चाईबासा जिला पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा प्रतिवेदित शिकायत आधारहीन है।

सूचनार्थ आवश्यक कार्याथ सादर समर्पित।

अनु0 :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)
द्वितीय तल्ला, इंजीनियरिंग हॉस्टल, सेक्टर–III, धुर्वा, राँची–834 004, दूरभाष संख्या–0651–2400749

पत्र संख्या–836 / 919 / स0क0।

प्रेषक,

मनोज कुमार (भा0प्र0से0)
निदेशक, समाज कल्याण।

सेवा मे,

सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 01-06 2020 ई0।

विषय :– केन्द प्रायोजित योजना पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभुको को पूरक पोषाहार का वितरण आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा Home Delivery के माध्यम से करने के संबंध में।

प्रसंगः– महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड का आदेश ज्ञापांक–523 दिनांक–21.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए निदेशित किया जाता है कि Lockdown अवधि तक के लिए आंगनवाड़ी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संदर्भ में पारित विभागीय आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकः i. प्रासंगिक पत्र
ii. विभागीय आदेश ज्ञापांक– 523 दिनांक 21.03.2020

01.06.20
(मनोज कुमार)
निदेशक, समाज कल्याण।

ज्ञापांक– 836 / 919 / स0क0, राँची, दिनांक 01-06 2020 ई0।

प्रतिलिपिः– सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.06.20
निदेशक, समाज कल्याण।

ज्ञापांक– 836 / 919 / स0क0, राँची, दिनांक 01-06 2020 ई0।

प्रतिलिपिः– सरकार के प्रधान सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को सादर सूचनार्थ।

01.06.20
निदेशक, समाज कल्याण।

ज्ञापांक– 836 / 919 / स0क0, राँची, दिनांक 01-06 2020 ई0।

प्रतिलिपिः– माननीया मंत्री के आप्त सचिव, महिला, बाल विकास एव सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

01.06.20
निदेशक, समाज कल्याण।

समाज कल्याण निदेशालय
झारखण्ड, राँची
प्राप्ति
13 MAY 2020
प्राप्ति संख्या

2267
15-05-2020

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष – 0651-2400787 ई-मेल – swdjharkhand@gmail.com

पत्रांक–05 / म०स०–विविध–408 / 2016– 662

प्रेषक,

राम प्रवेश प्रसाद,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 15-05-2020

विषयः– केन्द्र प्रायोजित योजना पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभुकों को पूरक पोषाहार का वितरण आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा Home Delivery के माध्यम से करने की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 765 दिनांक– 28.04.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कहना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के आलोक में जब तक Lockdown जारी रहेगा तब तक पूर्व के विभागीय आदेश कार्यान्वित किया जाय।

विश्वासभाजन

15.5.20

(राम प्रवेश प्रसाद)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

Ram Parvesh Prasad/...Hindi letter - 45

167

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष – 0651-2400757 ईमेल – swdjharkhand@gmail.com

आदेश

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या–61(13) दिनांक–16.03.2020 द्वारा COVID–19 को Epidemic Disease अधिसूचित किये जाने के फलस्वरुप उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए निम्नांकित आदेश दिए जाते हैं –

1. राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में संचालित 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों के लिए शाला पूर्व शिक्षा (Pre School Education) को तत्काल प्रभाव से दिनांक–14.04.2020 तक स्थगित किया जाता है।
2. सभी लाभुक वर्ग यथा – 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ, धात्री महिलाएँ एवं SAM बच्चों को पूरक पोषाहार (Supplementary Nutrition) उनके घर पर आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
3. आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा सभी लाभुक एवं उनके परिजनों को प्रेरित किया जायेगा कि विशेषकर वृद्धजन एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यथा संभव घर से बाहर न निकलें।
4. आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा सभी लाभुक एवं उनके परिजनों को प्रेरित किया जायेगा कि घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें तथा समय समय पर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोये।
5. आंगनबाड़ी कर्मी सुनिश्चित करें कि टीकाकरण का कार्य जारी रहे।
6. यदि किसी लाभुक अथवा उनके परिवार के लोगों को खांसी / बुखार / सांस लेने में कठिनाई हो तो आंगनबाड़ी कर्मी संबंधित स्वास्थ्य कर्मी / स्वास्थ्य केन्द्र को अविलम्ब सूचित करें।
7. यदि लाभुक का कोई परिजन हाल के दिनों में विदेश से आया हो तो आंगनबाड़ी कर्मी इसकी सूचना भी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / थाना प्रभारी / बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / स्वास्थ्य कर्मी / स्वास्थ्य केन्द्र को अविलम्ब दें।
8. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा COVID-19 के संबंध में निर्गत सभी दिशा निदेशों का सभी आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा अक्षरशः पालन किया जायेगा।
9. उपरोक्त सभी कार्यों में पोषण सखी द्वारा आंगनबाड़ी कर्मियों को सभी अपेक्षित सहयोग किया जायेगा।

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक –05 / म०बा०–विविध 408 / 2016– 523 राँची, दिनांक – 21/03/2020

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड / उप सचिव, मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक –05 / म०बा०–विविध–408 / 2016– 523 राँची, दिनांक – 21/03/2020

प्रतिलिपि– निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची / सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक –05 / म०बा०–विविध–408 / 2016– 523 राँची, दिनांक – 21/03/2020

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव